[2019] 12 एस. सी. आर. 270

[2019] 12 एस सी आर 270 ए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

ए.

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

एम/यूनिकॉर्न उद्योग

(2019 की सिविल अपील संख्या 7432)

बी.

सितंबर 19,2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

सिद्धांत-वादा रोकने का सिद्धांत-जब लागू नहीं किया जा सकता है-अपीलार्थी ने अधिसूचना दिनांक 09.09.2003 के माध्यम से, कुछ वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी-अधिसूचना दिनांक द्वारा।25.04.2007, पहले जारी की गई अधिसूचनाओं में इस परिणाम के साथ संशोधन किया गया था कि पान मसाला, तंबाकू, निर्मित तंबाकू के विकल्प और 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग अब उत्पाद शुल्क से छूट के हकदार नहीं थे-2012 के एसएलपी (सी) No.36926 से उत्पन्न दीवानी अपील में प्रत्यर्थी ने सिविल अपील Nos.2345 और 2017 के 2346 में रिट याचिका-अनुमत-प्रत्यर्थी के माध्यम से सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा खारिज की गई रिट याचिका।10.12.2010 – लिखित अपीलों की अनुमति-आयोजितःछूट तब भी राज्य द्वारा वापस ली जा सकती है, जब यह पाया जाता है कि इस तरह की निकासी सार्वजनिक हित में है-बड़ा सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से अधिक होगा, यदि कोई हो-ऐसे मामले में, वादा विबंधने का सिद्धांत भी छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों के बचाव में नहीं आएगा और राज्य को अपने वादे से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा, अगर राज्य का कार्य सार्वजनिक हित में पाया जाता है-क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि तंबाकू के साथ पान मसाला का सेवन और तंबाकू के बिना पान मसाला का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है-आगे यह पाया गया कि खतरनाक उत्पाद का सेवन करने वाले किशोरों का प्रतिशत।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

270

271

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न उद्योग ए

तंबाकू के साथ पान मसाला और तंबाकू के बिना पान मसाला को छूट व्यापक सार्वजनिक हित में है-वर्तमान मामले में वादा विबंधने का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था-सिक्किम उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया-एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित। 10.12.2010 बरकरार-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -धारा 5 ए-अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 -धारा 3-अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र) अधिनियम, 1978 -धारा 3 (3)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002-वित्त अधिनियम, 2003 -s.154-उत्पाद शुल्क।

बी.

सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1.1 इन अपीलों में उठाया गया मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।दी गई छूट, तब भी जब छूट देने वाली अधिसूचना एक विशेष अवधि निर्धारित करती है जब तक कि यह उपलब्ध है, राज्य द्वारा वापस ली जा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि इस तरह की निकासी जनहित में है।ऐसे मामले में, व्यापक सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित, यदि कोई हो, से अधिक होगा।ऐसे मामले में, यदि राज्य का कार्य जनहित में पाया जाता है, तो छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों का बचाव करने के लिए वचन विबंध करने का सिद्धांत भी नहीं आएगा और राज्य को अपने वादे से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा।[पैरा 12,19 और 25] [279-एफ; 283-ई; 285-जी-एच]

डी.

ई.

1.2 इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि पान और विकल्प, तंबाकू और उनके विकल्प, यानी तंबाकू के साथ और बिना तंबाकू के पान मसाला पर विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से इन उत्पादों को मुंह के कैंसर के मुख्य कारणों में से एक पाया गया है।इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक शोध से यह पाया गया है कि तंबाकू के साथ पान मसाला के साथ-साथ तंबाकू के बिना पान मसाला का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।यह भी पाया गया है कि खतरनाक उत्पाद का सेवन करने वाले किशोरों का प्रतिशत बहुत अधिक था और इस तरह इस देश की युवा आबादी के एक बड़े हिस्से को मुंह के कैंसर का खतरा था।इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य ने ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है, तो यह नहीं समझा जा सकता है कि इसे सार्वजनिक हित में कैसे नहीं कहा जा सकता है।[पैरा 26,31] [285-ए; 290-डी-ई]

एफ.

जी.

एच.

1.3 वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 में परिलक्षित विधायी नीति सिगरेट के निर्माताओं के साथ-साथ तंबाकू के साथ पान मसाला बनाने वालों को दी गई छूट को वापस लेने की थी और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से।इस तथ्य के अलावा, यह एक सामान्य ज्ञान है कि तंबाकू अत्यधिक खतरनाक है, विधायी इरादा भी स्पष्ट था।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तंबाकू उत्पादों के लिए छूट वापस लेना जनहित में नहीं था, कम से कम कहने के लिए चौंकाने वाला है।उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर था।तंबाकू के साथ पान मसाला और तंबाकू के बिना पान मसाला की छूट को वापस लेना व्यापक जनहित में है।इस प्रकार, वर्तमान मामले में प्रोमिसरी विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता था।राज्य को छूट जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, हालांकि यह संतुष्ट था कि ऐसा करना जनहित में नहीं था।व्यापक सार्वजनिक हित व्यक्तिगत नुकसान, यदि कोई हो, से कहीं अधिक होगा।अपीलों की अनुमति है।गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा दिनांकित 20.04.2016 और 25.05.2016 द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 10.12.2010 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है।[पारस 35,36 और 39] [292-ए-डी, एफ]

बी.

सी.

डी.

ई.

कासिंका ट्रेडिंग बनाम भारत संघ (1995) 1 एस. सी. सी. 274:[1994] 4 पूरक। एससीआर 448; एसटीओ बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स

(1998) 1 एससीसी 572:[1997] 6 पूरक।एससीआर 488; श्रीजी

सेल्स कार्पोरेशन।बनाम भारत संघ (1997) 3 एस. सी. सी. 398:

[1996] 10 पूरक।एससीआर 888; राजस्थान राज्य बनाम महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (1999) 4 एससीसी 357:[1999] 2

एफ.

एस. सी. आर. 798; श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनामयू. पी. राज्य

(2011) 3 एससीसी 193:[2011] 3 एस. सी. आर. 134; विदेश व्यापार के डी. जी. बनाम कनक निर्यात (2016) 2 एस. सी. सी. 226:[2015] 15 एस. सी. आर. 287-निर्भर।

दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड बनामभारत संघ (1995) 1 एससीसी

जी.

345 :[1994] 5 पूरक।एस. सी. आर. 278; पप्पु मिठाइयां और

बिस्किट्स बनाम कॉम.व्यापार कर, उत्तर प्रदेश (1998) 7 एस. सी. सी.

228 :[1998] 2 पूरक।एस. सी. आर. 119; कॉम.सीमा शुल्क बनाम।

एच.

273

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न उद्योग ए

ए.

दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1:[2018] 7 एससीआर

1191; मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1979) 2 एससीसी 409:[1979] 2 एससीआर 641; भारत संघ और अन्य बनामगॉडफ्रे

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और अन्य। (1985) 4 एससीसी 369:[1985] 3

पूरक।एससीआर 123; पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनामयू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। (1997) 7 एससीसी 251:

बी.

[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 266-संदर्भित।

शोध पत्र का शीर्षक "सुपारी और पान मसाला के विकल्प के उपयोग के कारण मुंह के कैंसर की महामारी के लिए चेतावनीःकारक और कारक की समीक्षा

सी.

तंत्र "-उत्परिवर्तन खंड। 19 नंबर 4; अध्ययन पत्र

"स्मोकलेस टोबैको एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्सःएक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन "-

निवारक चिकित्सा में प्रगति 2019; अध्ययन रिपोर्ट

"पान मसाला के हानिकारक प्रभावों पर एक समीक्षा" शीर्षक -

इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर (अक्टूबर-दिसंबर 2015) खंड 52, अंक 4-संदर्भित।

डी.

मामला कानून संदर्भ

[1994]4 पूरक।एस. सी. आर. 448 पर निर्भर

पैरा 10 [1994] 5 पूरक।एस. सी. आर. 278 पैरा 10 [1997] 6 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 488 पर निर्भर

ई.

पैरा 10

[1996] 10 पूरक।एस. सी. आर. 888 पर निर्भर

पैरा 10

पैरा 10

[1999] 2 एससीआर 798

उस पर भरोसा करें

[2011] 3 एससीआर 134

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

एफ.

[2015] 15 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पैरा 10 [1998] 2 पूरक।एस. सी. आर. 119 पैरा 10 [2018] 7 एस. सी. आर. 1191 पैरा 10 [1979] 2 एस. सी. आर. 641 पैरा 11 [1985] 3 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 123 पैरा 11 [1997] 3 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 11 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 266

जी.

एच.

274

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 7432।

2007 की रिट याचिका (सी) संख्या 22 में गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.05.2012 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

बी.

2017 की सिविल अपील संख्या 2345,2346।

ध्रुव अग्रवाल, डॉ. अशोक सराफ, नकुल दीवान, बलबीर सिंह, गुरु कृष्ण कुमार, के. वी. विश्वनाथन, एस. गणेश, तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री निशा बागची, रुपेश कुमार, सुश्री अरुणा गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, बी. के. प्रसाद, श्रीराम पी. पिंगले, गंगदीप शर्मा, एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा, अंचित श्रीपत, हिमांशु शेखर, विशाल गुप्ता, मेसर्स एपी एंड जे चैम्बर्स, कौशिक चौधरी, मुकुंद राव, पवनश्री अग्रवाल, के. जे. जॉन, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी। अजय के. रॉय, शांतनु त्यागी, सुश्री नंदिता चौहान, रविंदर निझावन, एस. एस. श्रॉफ, राहुल नारायण, शाश्वत गोयल, अजय के. रॉय, अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, ईशान नारायण, राजन नारायण, सुश्री कविता झा, सुश्री स्वाति अग्रवाल, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री देविका जैन, कुमार विशालक्ष, उदित जैन, महफूज ए. नाज़की, राणा रंजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह, सुश्री आकांक्षा सिंह, शुभदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, सतरोप दास, सुश्री

नीलिमा त्रिपाठी, सुश्री गुंजन सिंह, के. वी. मोहन, विशाल गुप्ता, सुमउपस्थित दलों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

डी.

ई.

एफ.

बी. आर. गवई, जे.

जी.

1. 2012 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 36926 में दी गई छुट्टी।

2. इन अपीलों में विचार के लिए जो कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या भारत संघ को कुछ उत्पादों के संबंध में उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट वापस लेने विबंधा जा सकता है।

एच.

एक पूर्व अधिसूचना द्वारा प्रदान किया जाता है; जब भारत संघ को लगता है कि सार्वजनिक हित में इस तरह की वापसी आवश्यक है।

3. चूंकि वर्तमान तीन अपीलों में उत्पन्न होने वाली तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ कानून का प्रश्न भी समान है, इसलिए उनकी सुनवाई एक साथ की जाती है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।अपीलार्थी, भारत संघ ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1994 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) (इसके बाद "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा, यह संतुष्ट करते हुए कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है, 2003 की अधिसूचना संख्या 71 दिनांक 09.09.2003 द्वारा, पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी गई है।अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो भी मामला हो, उक्त अधिनियमों में से किसी के तहत लगाया जा सकता है, जो कि उक्त माल के निर्माता द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के बराबर था, इसके अलावा सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 के तहत सेनवैट क्रेडिट के

उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि को छूट दी गई थी।यह छूट सिक्किम राज्य में औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्र या निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक संपदा या योजना क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए उपलब्ध थी, जैसा कि उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट किया गया है।छूट का लाभ उठाने के लिए उक्त अधिसूचना के तहत एक प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी।अनुलग्नक-I में उन उत्पादों की सूची दी गई है जो छूट के हकदार नहीं थे।उक्त अनुलग्नक का खंड 1 इस प्रकार हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

"1. सिगरेट/सिगार/गुटका सहित तंबाकू और तंबाकू उत्पाद "

जहाँ तक असम राज्य का संबंध है, भारत संघ द्वारा 1999-सी. ई. की अधिसूचना संख्या 32 और 1999-सी. ई. की अधिसूचना संख्या 33 दिनांक 08.07.1999 जारी की गई थी।

जी.

4. 2007-सी. ई. की अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 25.04.2007 द्वारा, इसके द्वारा जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया था।संशोधन का प्रभाव यह था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत आने वाले उत्पाद 'पान मसाला', उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 24 के तहत आने वाले सामान, यानी तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प और 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग को शामिल किया गया था।

एच.

नकारात्मक सूची में और इस तरह अब उत्पाद शुल्क से छूट के हकदार नहीं थे।उक्त अधिसूचना से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी, अर्थात् 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 36926 से उत्पन्न सिविल अपील में यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज ने 2007 की रिट याचिका (सी) संख्या 22 के माध्यम से सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।सिक्किम उच्च न्यायालय

ने अपने निर्णय और दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसमें याचिकाकर्ता सिक्किम राज्य में स्थित अपनी इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए पान मसाला के निर्माण पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार था, यानी 27.06.2006।

बी.

5. इसी तरह, 2017 की सिविल अपील संख्या 2346 में प्रत्यर्थी मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, जो तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के साथ पान मसाला का निर्माता था, ने एक याचिका के माध्यम से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2010 का पीडब्लू (सी) 749।उक्त याचिका तंबाकू के साथ पान मसाला के संबंध में छूट वापस लेने के संबंध में थी।गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के फैसले और आदेश के माध्यम से याचिका में कोई सार नहीं पाया और इस तरह याचिका को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, उक्त प्रत्यर्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के समक्ष 2011 की रिट अपील संख्या 81 दायर की।20.04.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने अपील की अनुमति दी; एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 10.12.2010 द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और 2007-CE की अधिसूचना संख्या 11 दिनांकित 01.03.2007 को रद्द कर दिया।इसने निवेश मूल्यांकन समिति को आगे निर्देश दिया कि वह अपने समक्ष अपीलार्थी (इसमें प्रत्यर्थी) को सुनवाई का अवसर दे ताकि वह यह साबित कर सके कि उसने पहले की अधिसूचनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं में वास्तव में कितनी राशि का निवेश किया था और आगे निर्देश दिया कि यदि अपीलार्थी यह साबित करता है कि उसने वास्तव में राशि का निवेश किया था, तो प्रत्यर्थी अधिकारी अपीलार्थी को उत्पाद शुल्क का इतना हिस्सा वापस कर देंगे, जिसके लिए अपीलार्थी पहले की अधिसूचनाओं के अनुसार हकदार होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

6. 2017 की सिविल अपील संख्या 2345 में प्रत्यर्थी, मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ने भी एक और याचिका दायर की थी, जो 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 749 थी, जहां तक इसके उत्पाद 'तंबाकू के बिना पान मसाला' का संबंध है।गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी 10.12.2010 दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया था।ऐसा प्रतीत होता है कि 2011 की रिट अपील संख्या 223 होने के कारण उक्त याचिका पर एक अन्य अपीलीय ए द्वारा अलग से सुनवाई की गई थी।

जी.

एच.

277

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ।हालाँकि, यह देखते हुए कि एकल न्यायाधीश के आदेश से उत्पन्न रिट अपील, जिसमें अपीलकर्ता के उत्पाद के संबंध में, यानी 'तंबाकू युक्त पान मसाला' को उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा दिनांक 3 के आदेश द्वारा पहले ही अनुमति दी गई थी, उक्त रिट अपील को दिनांक 2 के निर्णय और आदेश द्वारा भी अनुमति दी गई थी, जिससे 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 749 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था, और साथ ही दिनांक 1 की अधिसूचना भी।उसमें प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को उत्पाद शुल्क घटक वापस करने का निर्देश दिया गया था जो कानून के तहत स्वीकार्य है।

बी.

7. उपरोक्त निर्णयों और आदेशों से व्यथित होने के कारण, एक रिट याचिका में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और अन्य दो रिट अपीलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए, भारत संघ इस न्यायालय के समक्ष है।

सी.

8. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल प्रस्तुत करते हैं कि सिक्किम उच्च न्यायालय के साथ-साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठों दोनों ने रिट याचिका और निर्धारिती की रिट अपीलों को अनुमति देने में घोर गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि भारत संघ ने दोनों उच्च न्यायालयों के समक्ष विशेष रूप से तर्क दिया था कि 2007 की अधिसूचनाएं जनहित में जारी की गई थीं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ, अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमेशा पहले की अधिसूचनाओं के तहत उसके द्वारा दी गई छूटों को संशोधित करने और वापस लेने का अधिकार रखता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ ने जनहित को ध्यान में रखते हुए, कि तंबाकू के साथ पान मसाला या तंबाकू के बिना पान मसाला का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसलिए, इसके सेवन पर अंकुश लगाने के लिए, 2007 की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अध्याय 21 में पान मसाला और अध्याय 24 में निहित सभी उत्पादों, यानी तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प को नकारात्मक सूची में शामिल किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2007 की अधिसूचना जनहित में जारी की गई थी, सिक्किम उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।उन्होंने आगे कहा कि सिक्किम

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि पान मसाला खतरनाक नहीं है और इसलिए, 2007 की अधिसूचना को जनहित में नहीं कहा जा सकता है, पूरी तरह से गलत है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा करते समय, सिक्किम उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की भूमिका ग्रहण की है और इसलिए, अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की है।9. जहाँ तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गुवाहाटी के विद्वान एकल न्यायाधीश

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि किसी व्यक्ति के हित और सार्वजनिक हित के बीच संघर्ष में, व्यक्तिगत हित को व्यापक सार्वजनिक हित के लिए रास्ता देना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने अपने दिनांकित 20.04.2016 के फैसले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तर्कपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप करने में घोर गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उक्त अपील में, उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के समक्ष विचार के लिए जो उत्पाद आया था, वह जरदा सुगंधित तंबाकू और तंबाकू युक्त पान मसाला था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि तंबाकू युक्त उत्पाद निर्विवाद रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और इसलिए, उक्त उत्पादों के निर्माण के लिए दी गई छूट को वापस लेने वाली अधिसूचना निस्संदेह व्यापक सार्वजनिक हित में है।हालाँकि, इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए, अपीलों को अनुमति दी गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक दूसरी अपील का संबंध है, एक अन्य अपीलीय पीठ ने केवल पहले की अपीलीय पीठ के फैसले पर भरोसा किया है और कहा है कि दोनों मामलों में एकमात्र अंतर यह था कि पहले के मामले में, मुद्दा तंबाकू युक्त पान मसाला के संबंध में था और उनके समक्ष मामले में, मुद्दा तंबाकू के बिना पान मसाला के संबंध में था और इन टिप्पणियों के साथ अपील की अनुमति दी गई।

बी.

सी.

डी.

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कासिंका ट्रेडिंग बनाम भारत संघ 1, दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड बनाम भारत सरकार के मामलों में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया।भारत संघ 2, एस. टी. ओ. बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स 3, श्रीजी सेल्स कार्पोरेशन।बनाम भारत संघ 4, राजस्थान राज्य बनाम महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज 5, श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम।यू. पी. राज्य 6, विदेश व्यापार के महानिदेशक बनाम कनक एक्सपोर्ट्स 7, पप्पु स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम कॉम.व्यापार कर, यू. पी. 8 और कम.सीमा शुल्क बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी 9,11. प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह और श्री नकुल दीवान ने विवादित फैसलों और आदेशों का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, सिक्किम उच्च न्यायालय के साथ-साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठों ने उचित रूप से वादा विबंध करने के सिद्धांत पर भरोसा किया है और अपीलों को अनुमति दी है।यह है।

ई.

एफ.

1 (1995) 1 एससीसी 274 2 (1995) 1 एससीसी 345 3 (1998) 1 एससीसी 572 4 (1997) 3 एससीसी 398 5 (1999) 4 एससीसी 357 6 (2011) 3 एससीसी 193 7 (2016) 2 एससीसी 226 8 (1998) 7 एससीसी 228 9 (2018) 9 एससीसी 1 ए

जी.

एच.

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह केवल भारत संघ और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के कारण है कि सिक्किम के साथ-साथ असम के अधिसूचित क्षेत्रों में साबित उद्योग केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के हकदार होंगे, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में उद्योग साबित किए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि छूट अधिसूचनाएं भारत संघ के साथ-साथ राज्य सरकारों की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए जारी की गई थीं कि इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन के कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास हो सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के आश्वासन पर, रिट याचिकाकर्ताओं ने बड़ी राशि का निवेश किया है और इस तरह, अब भारत संघ को उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन सिद्धांतों पर विचार करते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं को राहत दी है।यह प्रस्तुत किया जाता

है कि, इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए वादे के कारण अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति बदलता है, तो दूसरे पक्ष को इस तरह के वादे से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रोमिसरी विबंध का सिद्धांत राज्य और उसके कार्यकर्ताओं पर समान रूप से लागू होता है।इस संबंध में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया है।मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 10, भारत संघ और अन्य। बनाम। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और अन्य। 11 और पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनामयू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। 12.

बी.

सी.

डी.

ई.

12. इन अपीलों में उठाया गया मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में, जब व्यापक सार्वजनिक हित ऐसा करने की मांग करता है, तो वचन विबंध करने के सिद्धांत की अप्रयोज्यता के संबंध में इस मुद्दे पर विचार किया है।संक्षेप में, हम इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

एफ.

13. कासिंका ट्रेडिंग (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय अपीलार्थी के मामले पर विचार कर रहा था, जो कुछ उत्पादों का निर्माण कर रहे थे, जिसके निर्माण प्रक्रिया के लिए कच्चे माल में से एक के रूप में पीवीसी राल की आवश्यकता थी।सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 66 दिनांक 15.03.1979 द्वारा, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के साथ समान सामग्री है, पीवीसी राल को छूट दी गई थी।

जी.

10 (1979) 2 एससीसी 409 11 (1985) 4 एससीसी 369 12 (1997) 7 एससीसी 251

एच.

बुनियादी आयात शुल्क से।यह छूट 31.03.1981 तक प्रभावी होनी थी।हालाँकि, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 205 दिनांक 16.10.1980 द्वारा, पहले दी गई छूट वापस ले ली गई।इसी तरह की एक चुनौती इस न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी जो यहां उठाई गई है।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"12. इस न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि प्रोमिसरी विबंध का सिद्धांत सरकार के खिलाफ भी लागू होता है, विशेष रूप से जहां धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकने के लिए आवश्यक है।हालाँकि, इस सिद्धांत को सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को "किसी ऐसे प्रतिनिधित्व या वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करने में सहायता के लिए नहीं दबाया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो या जो सरकार के अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकार या शक्ति से बाहर हो।"न्यायिक राय की प्रबलता है कि वचन के सिद्धांत का आह्वान करने के लिए स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक नींव याचिका में ही सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा रखी जानी चाहिए और यह कि गंजे भाव, बिना किसी सहायक सामग्री के, इस प्रभाव के कि सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति को बदल दिया है, सिद्धांत की सहायता के लिए दबाव विबंध लिए पर्याप्त नहीं होगा।हमारी राय में,

बी.

सी.

डी.

वचन विबंध करने के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और अदालतें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें प्राप्त किए जाने वाले परिणाम और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई शामिल हैं, क्योंकि सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय, अदालतों को समानता करनी होती है और सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए समानता के मौलिक सिद्धांत हमेशा के लिए अदालत के दिमाग में मौजूद रहने चाहिए।यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाया जा सकता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के लिए पकड़ना असमान होगा, तो सिद्धांत को तब सामने आना चाहिए जब समानता की मांग की जाती है।"

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 14.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि विबंध के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और न्यायालय प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई सहित सभी

पहलुओं को देखने के लिए बाध्य हैं।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय, न्यायालयों को समता रखनी होगी और समता का मौलिक सिद्धांत हमेशा ए में मौजूद रहना चाहिए।

जी.

एच.

281

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय न्यायालय का ध्यान।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब समानता की मांग की जाती है और जब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाया जा सकता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के लिए अभिनिर्धारित करना असमान होगा, तो वचन विबंध करने के सिद्धांत को लागू करना चाहिए।इस मुद्दे पर पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, जिन पर कर निर्धारकों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

बी.

"21. अधिनियम के तहत शुल्क, अतिरिक्त शुल्क आदि के भुगतान से छूट देने की शक्ति, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों से प्रवाहित होती है। छूट देने की शक्ति में इसे संशोधित करने या वापस लेने की शक्ति शामिल है। अधिनियम के तहत सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कर योग्य घटना होती है।फिर वे माल के प्रवेश की तारीख पर प्रचलित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं।अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी एक छूट अधिसूचना का प्रभाव सीमा शुल्क के संग्रह को निलंबित करने का था।ऐसा नहीं है।

सी.

डी.

सीमा शुल्क आदि के अधीन वस्तुओं को ऐसी वस्तुओं के रूप में बनाएँ जो इस तरह के शुल्क के लिए देय नहीं हैं।यह केवल सीमा शुल्क आदि के लेवी और संग्रह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों के अधीन करता है जो सरकार द्वारा "जनहित" में अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं।अपनी प्रकृति से ऐसी छूट को रद्द या संशोधित या अन्य शर्तों के अधीन होने की संभावना है।"जनहित" में छूट अधिसूचना का अधिक्रमण या निरसन कानून के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग है जैसा कि अधिनियम की धारा 25 की भाषा से स्पष्ट है। सामान्य खंड

अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण जिसके पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, उसके पास इसी तरह से अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने की निस्संदेह शक्ति है।"

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 15.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक छूट अधिसूचना उन वस्तुओं को ऐसी वस्तु नहीं बनाती है जो सीमा शुल्क आदि के अधिरोपण के अधीन हैं जो ऐसे शुल्क के लिए अधिरोपणीय नहीं हैं।यह केवल ऐसी शर्तों के अधीन सीमा शुल्क आदि के लेवी और संग्रह को निलंबित करता है जो "सार्वजनिक हित" में निर्धारित की जा सकती हैं।आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपनी प्रकृति से ऐसी छूट को निरस्त या संशोधित या अन्य शर्तों के अधीन किए जाने की संभावना है।यह हो चुका है

जी.

एच.

अभिनिर्धारित किया कि लोक हित में छूट अधिसूचना का अधिक्रमण या निरसन स्वयं कानून के तहत राज्य द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग है।यह भी माना गया है कि सामान्य खंड अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण जिसके पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, उसके पास इसी तरह से अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने की निस्संदेह शक्ति है।16. इस न्यायालय ने इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद कि छूट देने की अधिसूचना में निर्धारित तिथि से पहले छूट वापस नहीं ली जा सकती थी, इस प्रकार टिप्पणी की हैः

बी.

"23. अपीलार्थीगण इस धारणा में प्रतीत होते हैं कि भले ही बाजार की परिवर्तित स्थितियों में छूट जारी रखना उचित नहीं था, फिर भी सरकार उन्हें अतिरिक्त लाभ देने के लिए इसे जारी रखने के लिए बाध्य थी।निश्चित रूप से यह वह उद्देश्य नहीं था जिसके साथ अधिसूचना जारी की गई थी।निकासी

सी.

"लोक हित में" छूट एक नीतिगत मामला है और अदालतें सरकार को आने वाले सभी समय के लिए अपने नीतिगत निर्णयों के लिए बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार को इस बात का संतोष हो कि "लोक हित" में नीति में बदलाव आवश्यक था।
साबितअसाबितदसाबितासाबितलसाबिततसाबितेसाबितंसाबित साबितरसाबितासाबितजसाबितकसाबितोसाबितषसाबितीसाबितयसाबित साबितनसाबितीसाबिततसाबितिसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित साबितहसाबितससाबित्साबिततसाबितकसाबित्साबितषसाबितेसाबितपसाबित साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित साबितकसाबितरसाबिततसाबितीसाबित साबितहसाबितैसाबितंसाबित,साबित साबितजसाबितहसाबितासाबितंसाबित साबितससाबितरसाबितकसाबितासाबितरसाबित साबित"साबितजसाबितनसाबितहसाबितिसाबिततसाबित"साबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित साबितकसाबितासाबितमसाबित साबितकसाबितरसाबिततसाबितीसाबित साबितहसाबितैसाबित साबितऔसाबितरसाबित साबितनसाबित साबितहसाबितीसाबित साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित साबितधसाबितोसाबितखसाबितासाबितधसाबितडसाबित़साबितीसाबित साबितयसाबितासाबित साबितईसाबितमसाबितासाबितनसाबितदसाबितासाबितरसाबितीसाबित साबितकसाबितीसाबित साबितकसाबितमसाबितीसाबित साबितकसाबितासाबित साबितआसाबितरसाबितोसाबितपसाबित साबितलसाबितगसाबितासाबितयसाबितासाबित साबितजसाबितासाबिततसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित।साबितसरकार को वित्त के उपयोग के मामले में प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत छूट अधिसूचना जारी करने या संशोधित करने या वापस लेने के दौरान जनहित में कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहना होगा।

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 17.यह देखा गया है कि जनहित में छूट को वापस लेना एक नीतिगत मामला है और अदालतें सरकार को आने वाले सभी समय के लिए अपने नीतिगत फैसलों के लिए बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार को इस बात का संतोष हो कि नीति में बदलाव जनहित में आवश्यक था।साबितयसाबितहसाबित साबितअसाबितभसाबितिसाबितनसाबितिसाबितरसाबित्साबितधसाबितासाबितरसाबितिसाबिततसाबित साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित साबितगसाबितयसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित साबितकसाबितिसाबित साबितजसाबितहसाबितासाबितंसाबित साबितससाबितरसाबितकसाबितासाबितरसाबित साबितजसाबितनसाबितहसाबितिसाबिततसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित

साबितकसाबितासाबितरसाबित्साबितयसाबित साबितकसाबितरसाबिततसाबितीसाबित
साबितहसाबितैसाबित साबितऔसाबितरसाबित साबितनसाबित साबिततसाबितोसाबित
साबितकसाबितोसाबितईसाबित
साबितधसाबितोसाबितखसाबितासाबितधसाबितडसाबित़साबितीसाबित
साबितयसाबितासाबित
साबितईसाबितमसाबितासाबितनसाबितदसाबितासाबितरसाबितीसाबित
साबितकसाबितीसाबित साबितकसाबितमसाबितीसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितआसाबितरसाबितोसाबितपसाबित साबितलसाबितगसाबितासाबितयसाबितासाबित
साबितजसाबितासाबिततसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित,साबित
साबिततसाबितोसाबित साबितइसाबितससाबित
साबितनसाबित्साबितयसाबितासाबितयसाबितासाबितलसाबितयसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितलसाबितिसाबितएसाबित
साबितइसाबितससाबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितहसाबितससाबित्साबिततसाबितकसाबित्साबितषसाबितेसाबितपसाबित
साबितकसाबितरसाबितनसाबितासाबित साबितउसाबितचसाबितिसाबिततसाबित
साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित साबितहसाबितोसाबितगसाबितासाबित।
साबितअंततः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि छूट को वापस लेना जनहित में था और इसलिए, याचिकाओं को खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

एफ.

जी.

एच.

283

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

18. श्री दुर्गा ऑयल मिल्स (उपरोक्त) के मामले में, उड़ीसा सरकार ने बिक्री कर छूट को वापस ले लिया था जो पहले उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 के तहत दी गई थी।इसी तरह की चुनौती पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को उलटते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

ए.

"21. इसके अलावा अधिसूचना को वापस लेना जनहित में किया गया था।न्यायालय जनहित में सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा।सार्वजनिक हित को निजी हानि या लाभ के किसी भी विचार पर हावी होना चाहिए।

बी.

23. तत्काल मामले में, राज्य की ओर से यह कहा गया है कि विक्रेताओं को बिक्री कर से छूट देने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप संसाधनों की भारी कमी हुई है। वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार करने पर, उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी पहले की छूट अधिसूचनाओं के दायरे को सीमित करने का निर्णय लिया गया। राज्य के आर्थिक परिदृश्य की इस नई धारणा के कारण, पहले की अधिसूचनाओं के दायरे को सीमित करना पड़ा।उन्हें पहले 20-5-1977 पर पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था।इसके बाद सीमित पैमाने पर छूट देने का निर्णय लिया गया।24. हमारी राय में, संसाधन की कमी के आधार पर नीतिगत व्यापार में बदलाव की याचिका प्रत्यर्थी के मामले को वादा विबंधने के सिद्धांत के आधार पर खारिज करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी।जनहित ने पहले के आई. पी. आर. में संशोधन की मांग की।19. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब छूट की वापसी सार्वजनिक हित में है, तो सार्वजनिक हित को निजी नुकसान या लाभ के किसी भी विचार पर हावी होना चाहिए।उक्त मामले में, नीति में परिवर्तन और गंभीर संसाधन की कमी के आधार पर छूट को वापस लेना एक वैध आधार और जनहित में पाया गया है।20. इसी तरह का एक मुद्दा श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।विचार के लिए आई अधिसूचना उन अधिसूचनाओं के समान थी जो कासिंका ट्रेडिंग (उपरोक्त) के मामले में विचार के लिए आई थी।इस तर्क पर विचार करते हुए कि जब अधिसूचना एक अवधि निर्धारित करती है जिसके दौरान छूट उपलब्ध होगी, तो ऐसी छूट निर्धारित अवधि के अंत तक वापस नहीं ली जा सकती है, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“7. अगला सवाल यह है कि क्या यह तथ्य कि अधिसूचना संख्या 66 में उस अवधि का उल्लेख किया गया है जिसके दौरान इसे रहना था।

एच.

बल, स्थिति में कोई बदलाव लाएगा।दूसरे शब्दों में, क्या यह कहा जा सकता है कि जिस अवधि के भीतर छूट लागू रहेगी, उसे निर्दिष्ट किए बिना अधिसूचित छूट को सार्वजनिक हित में वापस लिया जाएगा, लेकिन उस अवधि में नहीं जिसमें छूट लागू रहेगी।

ऐसा निर्दिष्ट किया गया है?एक बार जब सार्वजनिक हित को उच्चतर इक्विटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जो व्यक्तिगत इक्विटी को ओवरराइड कर सकता है, तो सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होना चाहिए जहां

बी.

अवधि का संकेत दिया गया है।सरकार किसी वादे से पीछे हटने के लिए सक्षम है, भले ही इसमें कोई स्पष्ट सार्वजनिक हित शामिल न हो, बशर्ते कि किसी को भी किसी प्रतिकूल स्थिति में न डाला जाए जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है।एम. पी. शुगर मिल्स [मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी] में उद्धृत इमैनुएल आयोदेजी अजय बनाम ब्रिस्को, (1964) 3 ऑल ई. आर. 556 में तर्क की रेखा को अपनाना। लिमिटेड वी.उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 409, भले ही ऐसा कोई सार्वजनिक हित न हो, फिर भी यह सरकार की क्षमता के भीतर हो सकता है कि वह उचित सूचना देने के वादे से पीछे हट जाए, जो एक औपचारिक सूचना होने की आवश्यकता नहीं है, जिससे वादा करने वाले को अपना पद फिर से शुरू करने का एक उचित अवसर मिले, बशर्ते कि वादा करने वाले के लिए पहले की स्थिति को बहाल करना संभव हो।हालाँकि, यदि वादा करने वाला अपने पद पर फिर से नहीं लौट सकता है, तो वादा अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाएगा।"

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 21.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा कि एक बार सार्वजनिक हित को एक उच्चतर इक्विटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जो एक व्यक्तिगत इक्विटी को ओवरराइड कर सकता है, वही सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू होना चाहिए जहां अवधि निर्धारित की गई है।

ई.

22. महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने भी ऐसा ही विचार रखा है।श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय उस अधिसूचना की वैधता के संबंध में प्रश्न पर विचार कर रहा था जिसने पहले की अधिसूचना के तहत दी गई बिजली बिल की कुल राशि पर पहाड़ी विकास छूट का 33.33% वापस ले लिया था।इसी तरह की चुनौती पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

एफ.

जी.

“33. आम तौर पर, सरकार के खिलाफ प्रोमिसरी विबंध का सिद्धांत लागू किया जा रहा है और कार्यकारी आवश्यकता के आधार पर बचाव को अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।तथापि, यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि वे बाद में सामने आए हैं, तो ए को अभिनिर्धारित करना अनुचित होगा।

एच.

285

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सरकार अपने द्वारा किए गए वादे के अनुसार, अदालत वादा करने वाले के पक्ष में बराबरी नहीं करेगी और वादे को लागू करेगी।

सरकार के खिलाफ।जहाँ लोकहित की आवश्यकता होती है, वहाँ वादा विबंधने के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।सरकार जनहित में नीति में बदलाव कर सकती है।

हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस सिद्धांत से संकेत लेते हुए, प्राधिकरण को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं है या कानून द्वारा निषिद्ध है।कानून के विबंध किए गए प्रस्ताव के खिलाफ कोई वादा नहीं है।कानून के विपरीत किए गए वादे को लागू करने के लिए प्रोमिसरी विबंध के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी क़ानून के खिलाफ कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो।”

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 23।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, इस न्यायालय ने फिर से इस स्थिति को दोहराया कि जहां जनहित की आवश्यकता है, वहां वचन विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई उक्त चुनौती को खारिज कर दिया गया।

डी.

24. कनक निर्यात (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन वापस लेने की चुनौती पर विचार करते हुए फिर से कहा कि, विचाराधीन प्रोत्साहन योजना रियायत या प्रोत्साहन की प्रकृति की थी जो केंद्र सरकार का

विशेषाधिकार था।इस तरह का विशेषाधिकार देने या न देने का निर्णय सरकार को लेना था। छूट, रियायत या प्रोत्साहन देना और उसमें संशोधन करना सरकार के सार्वजनिक निर्णयों के दायरे में आने वाले मामले हैं।इसने आगे दोहराया कि जब इस तरह के प्रोत्साहनों को वापस लेना जनहित में किया गया था, तो अदालतें नीतिगत निर्णयों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। इस न्यायालय ने अभिलेख की सामग्री पर तथ्य के रूप में विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि छूट वापस लेना जनहित में था।

ई.

एफ.

25. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह पूरी तरह से तय है कि दी गई छूट, भले ही छूट देने वाली अधिसूचना में एक विशेष अवधि निर्धारित की गई हो, जब तक कि यह उपलब्ध हो, राज्य द्वारा वापस ली जा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि ऐसी निकासी जनहित में है।ऐसे मामले में, व्यापक सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित, यदि कोई हो, से अधिक होगा।ऐसे मामले में, यदि राज्य का कार्य जनहित में पाया जाता है, तो छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों का बचाव करने के लिए वचन विबंध करने का सिद्धांत भी नहीं आएगा और राज्य को अपने वादे से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

जी.

एच.

26. इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि पान और विकल्प, तंबाकू और उनके विकल्प, यानी तंबाकू के साथ और बिना तंबाकू के पान मसाला पर विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से इन उत्पादों को मुंह के कैंसर के मुख्य कारणों में से एक पाया गया है।जर्मन कैंसर अनुसंधान केंद्र (डी. के. एफ. जेड.), हीडलबर्ग, जर्मनी के विष विज्ञान और कैंसर जोखिम कारक विभाग में तीन विशेषज्ञों, उर्मिला नायर, हेल्मुट बार्टश और जगदीशन नायर द्वारा एक विस्तृत अध्ययन पर विचार किया गया है।शोध पत्र का शीर्षक है "सुपारी और पान मसाला के विकल्प के उपयोग के कारण मुंह के कैंसर की महामारी के लिए चेतावनीःअभिकर्मकों और कारक तंत्र की समीक्षा 13 "।पूरी सामग्री पर विस्तार से विचार करने और पहले के विभिन्न अध्ययनों पर विचार करने के बाद, पेपर इस प्रकार देखता हैः

बी.

सी.

“ दृष्टिकोण

मौखिक गुहा कैंसर को कम करने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में ऑन्कोलॉजिस्टों द्वारा गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत की गई है।हाल ही में, भारत के कई राज्यों ने दोनों उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इससे घटना दर में कमी आनी चाहिए।सिगरेट और बीड़ी (एक स्वदेशी धूम्रपान उत्पाद) के साथ-साथ सदियों से बाजार में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य-खराब करने वाले तंबाकू उत्पादों के संबंध में भी इसी तरह के नियमों को मजबूत किया जाना चाहिए।

डी.

हालांकि, उन लोगों के लिए जो इन उत्पादों के आदी हैं या पहले से ही पूर्ववर्ती घावों से प्रभावित हैं, आदत को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं।इसके अतिरिक्त, कीमोप्रिवेंटिव हस्तक्षेपों का पता लगाया जा रहा है।रेटिनोइड्स, एन. एस. ए. आई. डी. एस. और ग्रीन टी आशाजनक एजेंटों में से हैं (ग्रेवाल, 1994; आई. यू. एस. एच. एन. सी. सी., 1997; पापाडिमित्राकोपोलू और हांग, 1997; लिन एट अल।, 2002 ए)। हालांकि घावों का एक बड़ा प्रतिशत उपचार के लिए प्रतिक्रिया करता था, कीमोप्रिवेंटिव शासन को समाप्त करने के बाद पुनरावृत्ति भी देखी गई थी (शंकरनारायणन एट अल।, 1997), शायद नशे की लत की आदत की निरंतरता के कारण।

ई.

एफ.

सभी कैंसरों की तरह, मुंह के कैंसर के सफल उपचार के लिए प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पूर्वानुमान अभी भी बहुत खराब है।आजकल, कैंसर के आणविक निदान के लिए प्रोटिओमिक्स तकनीक को लागू करने के लिए एक मजबूत अभियान है।ट्यूमर ऊतकों की अभिव्यक्ति रूपरेखा, ट्यूमर का आणविक वर्गीकरण और

जी.

एच.

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

मुँह के कैंसर के लिए जल्दी पता लगाने, संवेदनशील निदान और प्रभावी उपचार की अनुमति देने के लिए मार्करों की पहचान की जा रही है।सामान्य, डिस्प्लास्टिक और ट्यूमर के नमूनों के बीच अभिव्यक्ति के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर वाले जीन बताए गए हैं और इससे मौखिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (कुओ एट अल) की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलनी चाहिए।, 2002; लीथानाकुल और अन्य।, 2003).

बी.

कॉकेशियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में मौखिक ल्यूकोप्लाकिया में डी. एन. ए. एन्यूप्लोइडी को मौखिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और संबंधित मृत्यु दर (सुडबो और रीथ, 2003; सुडबो एट अल) के बाद के विकास के लिए बहुत अधिक जोखिम का संकेत देने के लिए पाया गया है।, 2004).प्रीमैलिग्नेंट घावों की प्रगति की भविष्यवाणी करने के लिए एक जोखिम मूल्यांकन मॉडल जिसमें ऊतक विज्ञान और गुणसूत्र पॉलीसोमी, अभिव्यक्ति और 3 पी या 9 पी पर विषमयुग्मता के नुकसान के संयोजन का एक स्कोर भी शामिल है (ली एट अल।, 2000; रोसिन एट अल।, 2002).एक बार निदान होने के बाद, इन पूर्व-घातक घावों का इलाज कीमो निवारक एजेंटों, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी और/या तीव्र रेडियोथेरेपी द्वारा बहुत पहले चरण में किया जा सकता है ताकि नए घावों और पूर्व-घातक घावों को आक्रामक कैंसर में बढ़ने से रोका जा सके।

सी.

डी.

निष्कर्ष

गुटका और पान मसाला भारतीय बाजार में सस्ते और सुविधाजनक बीक्यू विकल्प के रूप में भर गए हैं और जहां भी इस आदत का अभ्यास किया जाता है, सभी आयु समूहों में लोकप्रिय हो गए हैं।इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि चूने के साथ तंबाकू चबाना, तंबाकू के साथ बीक्यू, तंबाकू के बिना बीक्यू और सुपारी मनुष्यों में कार्सिनोजेनिक हैं (आई. ए. आर. सी., 1985,2004)।बी. क्यू. विकल्प गुटका और पान मसाला पर उपलब्ध साक्ष्य के संयोजन में ये मूल्यांकन उन्हें शक्तिशाली कार्सिनोजेनिक मिश्रण के रूप में निहित करते हैं जो मुंह के कैंसर का कारण बन सकते हैं।इसके अतिरिक्त, ये उत्पाद लत लगाने वाले होते हैं और ओएसएफ की प्रारंभिक उपस्थिति को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं में जो बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।हालांकि हाल ही में इन उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अन्य अच्छी तरह से स्थापित मौखिक कैंसर पैदा करने वाले तंबाकू उत्पादों के साथ-साथ गुटका और पान मसाला पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।अंत में, चूंकि इन आदतों के परिणाम महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में तेज होने की संभावना है, इसलिए इन उत्पादों के उपयोग को कम करने या समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ घर में बनी तैयारी को भी तेज किया जाना चाहिए।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

288

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

27. हाल ही में, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विभाग, डेंटल इंस्टीट्यूट, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची ने अपने विशेषज्ञों, अंजनी कुमार शुक्ला, तान्या खेतान, प्रशांत गुप्ता और शांतला आर. नाइक के माध्यम से "स्मोकलेस टोबैको एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स" विषय पर एक अध्ययन किया हैःएक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन 14 "।अध्ययन पत्र में भारत में विभिन्न रूपों में धुआं रहित तंबाकू (एस. एल. टी.) के सेवन पर विचार किया गया जैसे कि तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, खैनी, सुपारी के साथ पान। एक गहन विश्लेषण करने के बाद, पेपर निष्कर्ष निकालता है और निम्नानुसार अनुशंसा करता है "

बी.

" निष्कर्ष और सिफारिश

सी.

एस. एल. टी. के उपयोग से हेमेटोलॉजिकल मापदंडों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान अध्ययन किसी भी प्रणालीगत रोगों में प्रारंभिक नैदानिक उपकरण के रूप में काम कर सकता है और एस. एल. टी. का सेवन करने वाले लोगों में हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक हो सकता है। छात्रों के बीच समय पर हस्तक्षेप तंबाकू के साथ प्रारंभिक प्रयोगों को वयस्कता में लत में विकसित होने से रोक सकता है।लोगों को तंबाकू की सभी आदतों से बचने और एंटीऑक्सीडेंट के साथ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से गुजरने की सलाह दी जानी चाहिए।तंबाकू मुक्त दुनिया की खोज में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से तंबाकू के प्रणालीगत और मौखिक दुष्प्रभावों के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।"

डी.

ई.

28. बिना तंबाकू के पान मसाला के निर्माताओं की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई कि तंबाकू के बिना पान मसाला तंबाकू के साथ पान मसाला की तुलना में एक अलग आधार पर खड़ा है।यह तर्क दिया गया कि तंबाकू के बिना पान मसाला को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं माना जा सकता है।टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के हेड एंड नेक सर्जरी विभाग ने अपने विशेषज्ञों गर्ग ए, चतुर्वेदी पी. मिश्रा ए. और दत्ता एस. के माध्यम से "पान मसाला 15 के

हानिकारक प्रभावों पर एक समीक्षा" पर एक अध्ययन किया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अध्ययन 'तंबाकू के बिना पान मसाला' का है।उक्त रिपोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः

एफ.

" पान मसाला से संबंधित नीतिगत मुद्दे

जी.

भारत में समाज के सभी वर्गों और आयु समूहों द्वारा पान मसाला का व्यापक उपयोग किया जाता है।यह भारत में मुंह के कैंसर के एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा है।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 ने दिखाया कि

14 निवारक चिकित्सा में प्रगति 2019

15 इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर (अक्टूबर-दिसंबर 2015) खंड 52, अंक 4 ए

एच.

289

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

21% 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने पी. एम. या तंबाकू का सेवन किया।तमिलनाडु राज्य में किए गए अध्ययन से पता चला है कि जिस उम्र में लोग सुपारी उत्पादों का सेवन करना शुरू करते हैं, वह 12 से 70 वर्ष के बीच होता है।58% विषयों में से कई दिन में दो बार से अधिक उत्पादों को चबाते थे।1 मई, 2004 से भारत में पी. एम. युक्त तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए तंबाकू कंपनियां मीडिया के सभी रूपों में तंबाकू के बिना पीएम का विज्ञापन कर रही हैं।प्रधानमंत्री तम्बाकू उत्पादों के लिए सरोगेट हैं क्योंकि विपणन पर खर्च किया जाने वाला पैसा, और विज्ञापन प्रधानमंत्री की बिक्री से उत्पन्न राजस्व का कई गुना है। मुंबई में पीएम और गुटका पर प्रतिबंध के बाद बिक्री में कमी आई है और इस आदत को छोड़ने और कम करने वाले उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत क्रमशः 23.53% और 55.88% था।छोड़ने और खपत में कमी का मुख्य कारण इन उत्पादों की अनुपलब्धता थी।प्रतिबंध के बावजूद गुटका अभी भी उपलब्ध था लेकिन विभिन्न रूपों में या बढ़ी हुई लागत पर।भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के रूप में सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन प्रवर्तन और अनुपालन शिथिल है।पूरे देश में कानूनों के मजबूत प्रवर्तन और अनुपालन की आवश्यकता है।जीनोटोक्सिक, कार्सिनोजेनिक गुणों और पीएम के कई अन्य हानिकारक प्रभावों के लिए सरकार द्वारा बिना तंबाकू के पीएम पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि इसने पीएम को तंबाकू के साथ प्रतिबंधित कर दिया है।उपभोक्ताओं को पीएम के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए क्योंकि वे इस गलत धारणा में हैं कि यह हानिकारक नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

“ निष्कर्ष

पान मसाला का व्यापक रूप से समाज के सभी वर्गों में उपयोग किया जाता है और यह देश के कई हिस्सों में मुफ्त में उपलब्ध है।यह कार्सिनोजेनिक, जीनोटॉक्सिक है और मौखिक गुहा, यकृत, गुर्दे और प्रजनन अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालता है।खपत को सीमित करने और लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए तुरंत सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता है।”

एफ.

29. 2004 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि गुटका और पान मसाला मुंह के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक रहे हैं।ऑन्कोलॉजिस्टों ने 2004 में ही गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत की थी।वे आगे पाते हैं कि इन उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से मुंह के कैंसर की घटनाओं की दर में कमी आएगी।यह पाया गया है कि गुटका और पान मसाला भारतीय बाजारों में भर गए हैं और सभी आयु समूहों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं।यह देखा गया है कि तंबाकू के साथ-साथ बिना तंबाकू के पान मसाला में एक

जी.

एच.

शक्तिशाली कार्सिनोजेनिक मिश्रण जो मुंह के कैंसर का कारण बन सकते हैं।इसने आगे पाया कि, ये उत्पाद एक नशे की लत हैं और मौखिक उप-श्लेष्म फाइब्रोसिस (ओ. एस. एम. एफ.) की प्रारंभिक उपस्थिति को बढ़ाते हैं।यह विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं में होता है जो इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

30. रिपोर्ट में आगे पाया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में यह पाया गया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के 21 प्रतिशत लोगों ने पान मसाला या तंबाकू का सेवन किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि, हालांकि तंबाकू युक्त पान मसाला सहित तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन भारत में 01.05.2004 के बाद से प्रतिबंधित है, इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, तंबाकू कंपनियां सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू के बिना पान मसाला का विज्ञापन कर रही हैं।यह पाया गया है कि पान मसाला और गुटका पर प्रतिबंध के बाद बिक्री में कमी आई है।2016 की रिपोर्ट में पाया गया है कि, मुंबई में, पान मसाला और गुटका पर प्रतिबंध के बाद, बिक्री में कमी आई है और इस आदत को छोड़ने और कम करने वाले उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत क्रमशः 23.53% और 55.88% था।

बी.

सी.

31. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक शोध से यह पाया गया है कि तंबाकू के साथ-साथ तंबाकू के बिना पान मसाला का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।यह भी पाया गया है कि खतरनाक उत्पाद का सेवन करने वाले किशोरों का प्रतिशत बहुत अधिक था और इस तरह इस देश की युवा आबादी के एक बड़े हिस्से को मुंह के कैंसर का खतरा था।इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य ने ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है, तो हम यह समझने में विफल हैं कि इसे सार्वजनिक हित में कैसे नहीं कहा जा सकता है।32. सिक्किम उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसमें अपीलकर्ता किसी भी प्रमुख लोक हित को स्थापित करने में असमर्थ रहा है, जो वचन विबंध करने के सिद्धांत को लागू नहीं करेगा।इसने आगे देखा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अधिसूचना या आदेश द्वारा पान मसाला को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक घोषित नहीं किया गया है।इसने पाया कि, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री या वैज्ञानिक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए खतरा है।हम पाते हैं कि सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क पूरी तरह से गलत है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

33. जहाँ तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक विस्तृत तर्क द्वारा पाया था कि उसके समक्ष आक्षेपित अधिसूचनाएँ जनहित में थीं और आगे कहा कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, वचन विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा

सकता है।इतना ही नहीं, लेकिन निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से इस प्रकार टिप्पणी की हैः

एच.

291

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामएम/यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज [बी. आर. गवई, जे.] ए.

"नीति 2007 से पहले की पृष्ठभूमि और अनुसूची 9 के साथ पठित वित्त अधिनियम 2003 की धारा 154 के रूप में कानून के विभिन्न साधनों के माध्यम से नीति 1997 द्वारा पहले दी गई छूट के लाभों में कटौती के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत अधिसूचनाओं और अन्य संबंधित विधानों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना तर्क की अवहेलना होगी कि इन सभी के बावजूद, टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत अध्याय 24 और पान मसाला के तहत माल के निर्माण में लगे उद्योगों को बाहर करने के विशिष्ट इरादे के साथ, ये अभी भी नीति 1997 के तहत लाभ/प्रोत्साहन का लाभ उठाते रहेंगे क्योंकि संबंधित इकाइयों ने 31/3/2007 पर और उससे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था।"

ए.

बी.

सी.

34. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह भी विशेष रूप से कहा है कि वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 के अधिकार, जिसके तहत सिगरेट निर्माताओं को दी गई छूट को पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया था, को इस न्यायालय द्वारा आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम के मामले में बरकरार रखा गया है। भारत संघ और अन्य, 2005 (7) एस. सी. सी. 725 में रिपोर्ट किए गए।हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के दृष्टिकोण पर आश्चर्यचकित हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि भारत संघ की ओर से निम्नलिखित प्रभाव से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. के तर्क को उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के न्यायाधीशों द्वारा निर्णय के पैराग्राफ 14 में विशेष रूप से दर्ज किया गया है, जो इस प्रकार हैः

डी.

ई.

"कि वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 द्वारा 1997 की औद्योगिक नीति के तहत अपीलकर्ता जैसी तंबाकू निर्माण इकाइयों को दिए गए लाभ को वापस लेने की वैधता को आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड बनाम आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड मामले में शीर्ष अदालत ने पहले ही बरकरार रखा था।भारत संघ, (2005) 7 एस. सी. सी. 725।"

एफ.

35. उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने कहा कि छूट के लिए तौर-तरीके प्रदान करने वाली कुछ अधिसूचनाएं वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 के अधिनियमन के बाद जारी की गई थीं और इसलिए, वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 की उक्त मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।हालाँकि, अपीलीय पीठ को इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ देना भी आवश्यक नहीं लगता है, जिस पर रिट याचिकाओं को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था और जिसे विशेष रूप से भारत संघ द्वारा सेवा में रखा गया है।हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने कैसे पाया कि 'तंबाकू के साथ पान मसाला' के संबंध में छूट वापस ले ली गई है।

जी.

एच.

यह जनहित में नहीं है।वित्त अधिनियम की धारा 154 में परिलक्षित विधायी नीति सिगरेट के निर्माताओं के साथ-साथ तंबाकू के साथ पान मसाला बनाने वालों को दी गई छूट को वापस लेने की थी और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से।इस तथ्य के अलावा, यह एक सामान्य ज्ञान है कि तंबाकू अत्यधिक खतरनाक है, विधायी इरादा भी स्पष्ट था।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तंबाकू उत्पादों के लिए छूट वापस लेना जनहित में नहीं था, कम से कम कहने के लिए चौंकाने वाला है।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर था।36. जैसा कि पहले ही यहां चर्चा की जा चुकी है, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि तंबाकू के साथ पान मसाला और तंबाकू के बिना पान मसाला की छूट को वापस लेना व्यापक जनहित में है।इस प्रकार, वर्तमान मामले में प्रोमिसरी विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता था।राज्य को छूट जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, हालांकि यह संतुष्ट था कि ऐसा करना जनहित में नहीं था।व्यापक सार्वजनिक हित व्यक्तिगत नुकसान, यदि कोई हो, से कहीं अधिक होगा।मामले के उस दृष्टिकोण में हम पाते हैं कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

2012 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 36926 से उत्पन्न सिविल अपीलः

37. अपील की अनुमति है।सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 11.05.2012 द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।38. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

ई.

सिविल अपील संख्या 2017 की 2345 और 2017 की 2346:

39. अपीलों की अनुमति है।गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा दिनांकित 20.04.2016 और 25.05.2016 द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 10.12.2010 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है।40. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एफ.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.